No. A-12018/05/2022- ISTM Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training Training Wing

Block-IV, Old JNU Campus, Third Floor New Mehrauli Road, New Delhi-110067 Dated: 24th December, 2025

To

The Director
The Institute of Secretariat Training and Management
Old JNU Campus
New Delhi

Subject: Amendment to Recruitment Rules of various faculty posts at ISTM -reg.

Sir,

I am directed to refer to ISTM's file no A-12018/05/2022-ISTM regarding the subject cited above and state that the RRs of the following five faculty posts have been notified in the Gazette of India dated 13.12.2025 (copy enclosed) after amendment with the approval of the Competent Authority:-

- I. Additional Director
- II. Joint Director (Management Services)
- III. Deputy Director (Economics and Planning)
- IV. Assistant Director (English Shorthand and Typewriting)
- V. Assistant Director (Accounts)
- 2. In view of the above, ISTM is requested to take necessary action in r/o the aforesaid posts.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

(Ram Bhagat Kushwaha)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 011-26706305

E-mail: rb.kushwaha@nic.in

Copy to:-

NIC, Block IV, Old JNU Campus, New Delhi.

[With request to publish the amended RRs of the five posts on the Department website]

Ram Bhagat Kushwaha)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 011-26706305

E-mail: rb.kushwaha@nic.in



सी.जी.-डी.एल.-सा.-13122025-268469 CG-DL-W-13122025-268469

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 45

नई दिल्ली, दिसम्बर 7-दिसम्बर 13, 2025, शनिवार/अग्रहायण 16-अग्रहायण 22, 1947

No. 45| NEW DELHI, DECEMBER 7-DECEMBER 13, 2025, SATURDAY/AGRAHAYANA16-AGRAHAYANA 22, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (अतिरिक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में अतिरिक्त निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (अतिरिक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रि व स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अतिरिक्त निदेशक	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (1,23,100- 2,15,900 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

केंद्रीय मरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत या कानूनी संगठनों के अधिकारी:-

- (Φ) (i) जिन्होंने मुल काडर या विभाग में सदश पद धारण किया हो; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो:-

आवश्यक:-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और
- (ii) भारत सरकार में सचिवीय पदों पर प्रशासनिक और स्थापन विषयों में आठ वर्ष का अनुभव; और
- (iii) केन्द्रीय मरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक मेक्टर उपक्रमों या स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन संगठनों या प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय:-
- (i) लोक प्रशासन या मानव संसाधन प्रबंध में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री।
- (ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव:- (क) भारत सरकार में एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता या लेखा प्रभाग में सिचवीय पद पर एक वर्ष का अनुभव;
- (ख) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन का विकास।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2022-आईएसटीएम]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 2nd December, 2025

- G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management (Additional Director) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-
 - 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management (Additional Director) Recruitment Rules, 2025.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Additional Director.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including contract.)	By deputation (including short-term contract) Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or, (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualification, and experience: -
Essential:
(i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and
 (ii) eight years' experience in administrative or establishment matters in ministerial posts in Government of India; and
(iii) two years' experience of conducting training programmes for organisations or training institutes under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations.
Desirable:
 (i) Masters' degree from a recognised University or institutes in Public Administration or Human Resource Management.
(ii) experience in the following areas: -
(a) One year experience in ministerial posts in Government of India in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance or Accounts Division; or
(b) development of online training modules or instruction design or curriculum design.
Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government
shall ordinarily not exceed three years.
Note 2:- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) सिचवालय प्रशिक्षण और प्रवंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवाएं) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सिचवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवाएं) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवाएं) समूह 'क' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2025 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरईता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह उसके , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी ,िलए जो कारण हैं आदेश द्वारा शिथिल ,वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबतकर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पदका नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवाएं)	1 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800- 209200रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियक्ति द्वाराः केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी:-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष मेवा की हो; और
- (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अईताएं और अनुभव हो:-
- आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और
 - (ii) भारत सरकार में सचिवीय पदों पर प्रशासनिक या स्थापन विषयों में पांच वर्ष का अनुभव।
- वांछनीयः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या मानव संसाधन प्रवंध में मास्टर डिग्री; या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंड या कंपनी सचिव या लागत और कार्य लेखा संस्थान (आईसीडब्ल्यूए)।
- (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)।
- (iii) निम्नलिखित एक या अधिक क्षेत्रों में अनुभव:- (क) प्रशिक्षण से संबंधित विषयों में एक वर्ष का अनुभव;
- (ख) वेतन स्तर-10 या उपर में एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में एक वर्ष का अनुभव;
- (ग) ऑनलाइन डिजाइन मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन के विकास में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. मं. ए-12018/05/2022-आईएसटीएम/ज.डी.(म.स.)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 190.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), Institute of Secretariat Training and Management Joint Director (Management Services) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Management Services) in the Institute of Secretariat Training and Management under the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Joint Director (Management Services) Group 'A' Gazetted Post, Recruitment Rules, 2025.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,
 - a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Joint Director (Management Services).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	By deputation: Officers under the Central Government: - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or, (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-11 in

the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the following educational qualifications and experience: -
Essential:
(i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and
(ii) five years' experience in administrative or establishment or financial matters in ministerial posts in Government of India.
Desirable:
(i) Master's degree in Economics or Human Resource Management from a recognised University or institute; or
Master of Business Administration (MBA) or Chartered Accountant (CA) or Company Secretary (CS) or Cost and Works Accountants (ICWA) from a recognised University or institute.
 (ii) Department of Personnel and Training (DoPT) Certified Master Trainer or recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP);
(iii) Experience in any one or more of the following areas: -
(a) one year experience in matters related to training;
 (b) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 or above;
(c) one year experience in development of online training modules or instruction design or curriculum design.
Note 1: - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years .
Note 2: - The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

- सा.का.नि. 191.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण) समूह 'ख' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरईता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह उसके , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी ,लिए जो कारण हैं आदेश द्वारा शिथिल ,वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबतकर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			.28			
पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिय के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण)	2 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47000- 151100 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा:- केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक:-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किया हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव होः

आवश्यकः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी शाखा में स्नातक डिग्री;

वांछनीयः (i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (डीटीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन;

(ii) ऑनलाईन प्रशिक्षण मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन का विकास।

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागु नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2022-आईएसटीएम/एडी(इ इस एंड टी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर मचिव

New Delhi, the 2nd December, 2025

- G.S.R. 191.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Assistant Director (English Shorthand and Typewriting) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (English Shorthand and Typewriting) in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-
 - 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Assistant Director (English Shorthand and Typewriting), Group 'B' Gazetted Post, Recruitment Rules, 2025.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director (English Shorth and and Type writing).	2* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	By deputation Stenographers under the Central Government: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level 7 in the pay matrix in the parent cadre or department; and
(b) possessing the following qualification or experience:
Essential: Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or institute;
Desirable:
 (i) Department of Personnel and Training (DoPT) Certified Master Trainer or recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP);
 (ii) development of online training module or instruction design or curriculum design.
Note 1: - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 2: - The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM/AD(ES&T)]

RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, उप-निदेशक (अर्थशास्त्र और नियोजन) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में उप निदेशक (अर्थशास्त्र तथा योजना) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, उप निदेशक (अर्थशास्त्र तथा योजना) समूह 'क' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह उसके , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी ,िलए जो कारण हैं आदेश द्वारा शिथिल ,वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबतकर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रि व स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (अर्थशास्त्र तथा योजना)	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700- 208700रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित)- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारीः-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ हो, या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 पर या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो
- (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:-
- **आवश्यकः** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में रहते हुए के साथ स्नातक डिग्री; और
- (ii) अर्थशास्त्र नीति (जिसके अंतर्गत योजना और वित्तीय प्रबंध भी है) के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव, साथ ही उसके अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित या सेक्टर स्कीम के व्यौहार में दो वर्ष का अनुभव है।

वांछनीयः (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री।

- (ii) अर्थशास्त्र नीति, वित्तीय प्रबंध या योजना में दो वर्ष का शिक्षण या प्रशिक्षण अनुभव।
- (iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी)।
- (iv) निम्नलिखित किसी एक या अधिक क्षेत्रों में अनुभव:-
- (क) प्रशिक्षण संबंधित विषयों का एक वर्ष का अनुभव;
- (ख) वेतन स्तर-10 या अपर प्रशासनिक या स्थापन या वित्तीय विषयों में दो वर्ष का अनुभव;
- (ग) वेतन स्तर-10 या अपर एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में एक वर्ष का अनुभव;
- (ঘ) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल या अनुदेश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन के विकास में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2022- आईएसटीएम/डीडी(इ एंड पी)]

राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2025

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management Deputy Director (Economics and Planning) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Economics and Planning) in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management, Deputy Director (Economics and Planning) Group 'A' Gazetted Post Recruitment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,
 - a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6.Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director (Economics and Planning).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs.67700- 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation short-term contract.)	By deputation (including short-term contract) Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory

organisations:-
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or,
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
(b) possessing the following educational qualifications and experience: -
Essential:
(i) Bachelor's degree with Economics as a subject from a recognised University or institute; and
(ii) Three years' experience in the field of economic policy (including planning and financial management) including two years' experience of dealing with centrally sponsored or sector schemes.
Desirable:
(i) Master's degree in Economics or Business Administration (Finance) from a recognised University or institute.
(ii) two years' teaching or training experience in Economic Policy, Financial Management or Planning;
(iii) Department of Personnel and Training (DoPT) Certified Master Trainer or recognized Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Pragramme (TDP);
(iv) experience in any one or more of the following areas: -
(a) one year experience of training related matters;
(b) two years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in pay level 10 or above.
(c) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 or above.
 (d) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design.
Note 1:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.
Note 2:- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Servic Commission is to be consulted in making recruitment.		
(12)	(13)		
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.		

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM/DD (E&P)]
RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

- सा.का.नि. 193.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिचवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन सिचवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में सहायक निदेशक (लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, सहायक निदेशक (लेखा) समूह 'ख' राजपत्रित, भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरईता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह उसके , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लो ,िलए जो कारण हैंक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल ,कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पदका नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (लेखा)	1 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचीवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47000- 151100 रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्तिः द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा:- केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में बेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 या समतुल्य में नियमित आधार नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:-
- आवश्यक: (i) वाणिज्य या अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रशासन या वित्त या लेखा, सहित एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
- (ii) भारत सरकार में सचिवीय पदों में साधारण प्रशासन या स्थापन में एक वर्ष का अनुभव।
- वांछनीय: (i) सरकारी संगठन में रोकड़ तथा लेखा और वजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव;
- (ii) भारत सरकार में सचिवीय पदों में एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में दो वर्ष का अनुभव;
- (iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री या स्नातोकोत्तर डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए (वित्त) या चार्टेड अकांउटेंट (सीए) या कंपनी सचिव (सीएस) या लागत और कार्य लेखा संस्थान (आईसीडब्ल्यूए);
- (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण;
- (v) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो;
- (vi) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक या प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) के प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीसी) या प्रशिक्षण का डिजाइन (डीओटी);
- (vii) ऑनलाईन मॉड्यूल या अन्देश डिजाइन या पाठ्यक्रम डिजाइन के विकास में एक वर्ष का अनुभव।
- टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया **3 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु मीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		
(12)	(13)		
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।		

[फा. मं. ए-12018/05/2022- आईएमटीएम/ए डी (एकाउंट्स)]

New Delhi, the 2nd December, 2025

- G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Institute of Secretariat Training and Management, Assistant Director (Accounts) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Accounts) in the Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-
 - 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Institute of Secretariat Training and Management Assistant Director (Accounts), Group 'B' Gazetted Post Recruitment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
 - 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification. No person,
 - a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director (Accounts).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 in the pay matrix (Rs.47600- 151100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
8	9	10	II
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	By deputation
аррисаотс.	аррисаоте.		Officers under the Central Government: -
			(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
			(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
			(b) possessing the following educational qualifications and experience: -
	H 13		Essential:
			 (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute with Commerce or Economics or Business Administration or Finance or Accounts as one of the subjects;
			 (ii) one year's experience in general administration or establishment in ministerial posts in Government of India.
			Desirable:
			 (i) two years' experience in Cash and Accounts and Budget works in Government organisation;
			 (ii) two years' experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in ministerial posts of Government of India;
			(iii) Master's Degree or Post Graduate Diploma in Commerce or Economics or Business Administration from a recognised University or institute;
			or
			Master of Business Administration (MBA) (Finance) or Chartered Accountant (CA) or Company Secretary (CS) or Institute of Cost and Works Accountants (ICWA) from any recognized University or institute.
			(iv) a Pass in the Subordinate Accounts Service Examination conducted by the Central Government;
			 (v) successfully completed training in Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management;
			(vi) Department of Personnel and Training (DoPT) certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training

(DoT) in Trainers Development Programme (TDP);
 (vii) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design.
Note 1:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 2:- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
12	13	
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.	

[F. No. A-12018/05/2022-ISTM/AD (Accounts)]
RAM BHAGAT KUSHWAHA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल, नई दिल्ली, में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;